

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 103/2025

प्रार्थी :-

1. श्री भरत कुमार पुत्र श्री कालूराम जाति सुआरा (नाई) निवासी सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

बनाम

अप्रार्थी :-

1. सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।
3. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनवाडा आर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज
अधिनियम, 1994

उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्र पुरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।



निर्णय

दिनांक 01.06.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या तीन के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा बावजूद नोटिस तामिली के इस न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा दिनांक 07.10.2025 को उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक व दो ने अप्रार्थी संख्या तीन के हक में विधि विरुद्ध पारित पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट को नियम 162 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। यह कि प्रार्थी का पट्टेशुदा भूखण्ड मौजा ग्राम सनवाडा (आर) में आया हुआ है। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड प्रार्थी के पिता कालूराम पुत्र मुलाजी के नाम से तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 को जारी किया गया था, जिसके पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में ओमा गमना का मकान प्लॉट संख्या 11 स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है। यह कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु पश्चात् प्रार्थी पट्टेशुदा भूखण्ड

जिला कलक्टर, सिरौही

...पेज नं. 02

का स्वामी व मालिक है तथा मौके पर काबिज है। प्रार्थी के उक्त सम्पत्ति पर पूर्व में कच्चा केलुपोश का मकान बना हुआ था, जो काफी जर्जर व पुराना होने से वर्ष 1995 में ध्वस्त हो चुका है, तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा नये सर मकान निर्माण करने हेतु अप्रार्थी संख्या एक व दो को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्माण स्वीकृति चाही गई। इस संबंध में अर्जी शुल्क राशि रुपये 5/- पंचायत में जमा करवाये जिसकी रसीद संख्या 41 दिनांक 30.08.1999 को जारी की। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा रुपये 150/- भवन निर्माण शुल्क व भेंट राशि 101/- कुल 251/- रुपये जमा करवाये और जिसकी रसीद संख्या 42 दिनांक 10.09.1999 को जारी की गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या एक व दो ने विधिवत् रूप से मकान नवनिर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् प्रार्थी ने मौके पर नीव खोदकर जमीन लेवल से करीब 03 फीट ऊँचाई में प्लिन्थ लेवल तक निर्माण कराया तत्पश्चात् प्रार्थी के पारिवारिक समस्या के कारण निर्माण अधूरा रहा। यह कि प्रार्थी के पट्टे शुदा सम्पत्ति, जो कि खसरा संख्या 509 किस्म आबादी भूमि में आया हुआ है एवं मौके पर स्थित है तथा प्रार्थी काबिज है। अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा बिना मौके की जाँच किये बिना सीमाज्ञान कराये अप्रार्थी संख्या तीन स्कूल को खसरा संख्या 509 रकबा 0.5443 हैक्टेयर कृषि आराजी का आवंटन अप्रार्थी संख्या तीन को स्कूल निर्माण हेतु आवंटित कर दी। जबकि उक्त भूमि खसरा संख्या 509 जो कि आबादी भूमि है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य लोगो के भी पट्टे शुदा भूमि आई हुई है एवं मौके पर काबिज है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जो भूमि खसरा संख्या 509 पंचायत की आबादी भूमि है। उक्त आबादी भूमि में से प्रार्थी के पट्टे शुदा भूमि व अन्य लोगो के पट्टे शुदा व कब्जे शुदा पुश्तैनी भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि का आवंटन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं करके प्रार्थी के मकान के आगे की रास्ते की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी संख्या दो द्वारा आवंटन कर बड़ी भारी कानूनी भूल की है एवं प्रार्थी के पट्टे शुदा भूमि को भी सम्मिलित करते हुए जो अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटन कर जो पट्टा विलेख संख्या 1 दिनांक 22.03.2023 को जारी किया है, वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक व दो को जानकारी होते हुए कि खसरा संख्या 509 आबादी भूमि में प्रार्थी की पट्टे शुदा सम्पत्ति आई हुई है एवं प्रार्थी के अलावा अन्य लोगो के भी भूखण्ड व मकान आये हुए है, उसके बावजूद भी बिना मौके की कोई जाँच किये एवं बिना सीमाज्ञान कराये खसरा संख्या 509 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटित कर दी, जबकि मौके पर खसरा संख्या 509 पर अप्रार्थी संख्या एक व दो द्वारा जारी पट्टेशुदा भूमि को बाद करते हुए शेष खाली भूमि का ही पट्टा जारी करना था, जो ऐसा नहीं करके जो पट्टा विलेख अप्रार्थी संख्या तीन को जारी किया है। वह सर्वथा ही विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या तीन को भूमि का आवंटन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा तहसीलदार पिण्डवाड़ा को सीमाज्ञान करने हेतु लिखा गया, जो सीमाज्ञान की मौका फर्द दिनांक 16.07.2025 को गठित टीम द्वारा किया गया लेकिन उक्त टीम द्वारा जानबूझकर खसरा संख्या 509 में प्रार्थी व अन्य लोगो के पट्टे शुदा भूखण्ड को नहीं दर्शाकर गलत मौका फर्द तैयार की गई। उक्त मौका फर्द में अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौके पर पश्चिम दिशा में विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण है, जो अतिक्रमण नहीं होकर पट्टे शुदा भूखण्ड है। इससे स्पष्ट है कि मौके की सम्पूर्ण भूमि खाली नहीं होते हुए भी राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए गलत मौका फर्द तैयार की गई एवं गलत आवंटन होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या तीन प्रार्थी को जबरन कब्जा खाली करने का दबाव बनाकर परेशान कर रहे है। जबकि अप्रार्थी संख्या तीन को जो पट्टा विलेख जारी किया है। वह शुरू से ही अवैध व शून्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या तीन के हक में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 को अपास्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए भूखण्ड का प्रार्थी स्वयं के नाम से ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र दिनांक 09.02.1996 को जारी किया गया है, परन्तु उक्तानुसार प्रार्थी के उक्त भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत सनवाडा आर का नवसृजन वर्ष 1995 में हुआ है। प्रार्थी के कथनानुसार वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर नींव से उपर एक से डेढ़ फीट उंचाई तक परकोटा बना हुआ है तथा अन्दर बबूल है उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 509 व 508 की सीमा पर है, जो वर्तमान में प्रार्थी काबिज है। यह कि उक्त भूखण्ड का सीमाज्ञान दिनांक 14.11.2021 को किया गया, जिसकी मौका फर्द में किसी का कोई कब्जा नहीं बताया गया। साथ ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौके का नजरी नक्शा भी बनाया गया तथा ग्राम पंचायत की मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण भी किया गया, उसमें भी किसी प्रकार का कब्जा नहीं बताया गया। दिनांक 16.07.2025 को किये गये सीमाज्ञान के समय अप्रार्थी संख्या दो (ग्राम विकास अधिकारी) मौके पर उपस्थित नहीं था, लेकिन पटवार हल्का सनवाडा आर व अप्रार्थी संख्या तीन तथा अन्य ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रार्थी संख्या तीन को जारी पट्टे में प्रार्थी का कब्जा तथा अन्य कब्जे व पट्टे शुदा भूखण्ड आ रहे है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पत्रांक 67 दिनांक 18.08.2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय पिण्डवाडा को पुनःमोमीयो ट्रेस नक्शे से सीमाज्ञान करने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक सीमाज्ञान नहीं किया गया जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या तीन को आवंटन भूमि का सही आंकलन नहीं किया जा सकता है कि प्रार्थी का पट्टा खसरा नम्बर 508 में है या 509 में स्थित है।



अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा दौराने बहस में ध्यान इस निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 162 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह है कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा उसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत सनवाडा-आर के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व दिनांक 14.11.2021 को ग्राम पंचायत सनवाडा आर के प्रतिनिधियों के द्वारा सीमा ज्ञान किया गया तथा ग्राम पंचायत सानवाडा आर के द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्ति आमंत्रण पत्र क्रमांक 13 दिनांक 22.04.2022 को जारी किया गया, जिसमें किसी भी प्रार्थी के द्वारा ग्राम पंचायत सानवाडा आर में आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गयी। ग्राम पंचायत सानवाडा आर द्वारा बुक नंबर 33 मिसल संख्या-1 संकल्प संख्या-4/01.03.2023 दिनांक-22.03.2023 को विद्यालय को खसरा संख्या-509 में पट्टा जारी किया, जिसका कार्यालय जिला परिषद सिरोही के पत्रांक- जिपसि/पंचायत/भूमि अनुमोदन- 2022-23/1242 दिनांक-17.01.2023 द्वारा जिला परिषद बैठक दिनांक- 21.10.2023 के प्रस्ताव संख्या-20 के बिंदु संख्या 4 के द्वारा अनुमोदित है। तदुपरान्त ही उक्त पट्टा पंचायत सानवाडा आर के द्वारा पंचायत भवन में विद्यालय में विद्यालय प्रशासन को संपूर्ण किया। यह कि पट्टा प्राप्ति के तुरन्त बाद दिनांक 25.3.2023 को श्रीमान तहसीलदार पिण्डवाडा को सीमाज्ञान बाबत पत्र लिखा, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब दिनांक 17.10.2024 को पुनःसीमा ज्ञान हेतु पत्र लिखा, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, सनवाडा आर के द्वारा पूर्व में दिनांक 14.11.2021 को किए गए सीमा ज्ञान पत्र को ही प्रमाणित कर विद्यालय को पत्र क्रमांक/प./2024/228 दिनांक 28.10.2024 प्रदान किया। तदुपरान्त दिनांक 16.07.2025 को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा गठित राजस्व टीम के द्वारा सीमा ज्ञान किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया कि विद्यालय की पट्टा भूमि पर पश्चिम दिशा में

अतिक्रमण किया गया है, जिसकी टिप्पणी मेरे द्वारा सीमा ज्ञान प्रतिवेदन पर की गई है तथा विद्यालय प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, तहसीलदार पिण्डवाडा, जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही, विकास अधिकारी पिण्डवाडा तथा श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पिण्डवाडा को सूचना दी गई। ग्राम पंचायत सनवाडा के पत्र क्रमांक/प./2025/67 दिनांक 18.08.2025 द्वारा मोमियो ट्रेस के द्वारा पुनः सीमा ज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा को पत्र लिखा, जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः विद्यालय भूमि पर किसका अतिक्रमण है इसकी प्रामाणिक रूप से जानकारी नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या तीन पर दबाव बनाया गया कि अतिक्रमण को छोड़ कर अन्य खाली जगह पर भवन बना लें। प्रार्थी के द्वारा अपने उत्तर में कालूराम पुत्र मूलजी का नींव भरा हुआ प्लॉट बताया है, जो मौके पर स्थित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए सभी पट्टों की वैधता की जांच का कार्य ग्राम पंचायत सनवाडा आर के द्वारा किया जाना है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या तीन को उक्त विवादित पट्टा संख्या 01 दिनांक 22.03.2023 क्षेत्रफल 58533.34 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 162 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 162 के अनुसार—




- 162. भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन—** (1) पंचायत, आबादी क्षेत्र के भीतर 500 वर्गगज तक की भूमियाँ, सम्बन्धित जिला परिषद द्वारा पुष्टि किए जाने के अध्यक्षीन, विद्यालय, औषधालय, आंगनवाडी को निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।
(2) कोई भी अन्य निःशुल्क या रियायती कीमत पर आवंटन केवल राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किए जायेंगे।

प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि प्रार्थी का पट्टेशुदा भूखण्ड मौजा ग्राम सनवाडा (आर) में आया हुआ है। उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड प्रार्थी के पिता कालूराम पुत्र मुलाजी के नाम से तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 को जारी किया गया था। प्रार्थी के पिता की मृत्यु पश्चात् उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड का स्वामी व मालिक एक मात्र प्रार्थी ही है तथा मौके पर काबिज है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तत्कालीन आवंटन अधिकारी इस्पेक्टर लैण्ड रिकॉर्ड्स हल्का भावरी तहसील पिण्डवाडा द्वारा श्री कालूराम पुत्र श्री मूलाजी के हक में पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 को ग्राम सनवाडा तहसील पिण्डवाडा में आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया था, परन्तु उक्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि ओरण भूमि होने से कार्यालय जिलाधीश सिरोही द्वारा जरिए आदेश क्रमांक/प012(3)राज/83/920-25 दिनांक 04.08.1983 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की थी तथा उक्त भूमि वर्ष 1983 में आबादी विस्तार हेतु आवंटित किए जाने से पूर्व ही वर्ष 1974 में आवंटन अधिकारी द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी कर दिया। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री कालूराम के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 19.12.1974 को उक्त पट्टेशुदा भूमि आबादी भूमि न होकर ओरण भूमि थी, इसके बावजूद भी उक्त भूमि का पट्टा आबादी भूमि में होना मानकर दिया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त श्री कालूराम के हक में जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 की शर्त संख्या आठ में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पर

आवंटन के दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपडा इत्यादि बनवाना अनिवार्य होगा और यदि इस अवधि में यह कार्य नहीं किया गया हो तो भू-खण्ड वापस लेने का अधिकार आवंटन अधिकारी को होगा। परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित करता हो कि उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य किया गया हो। इस प्रकार शर्त संख्या आठ के अनुसार भी उक्त पट्टा संख्या 12 दिनांक 19.12.1974 वैध नहीं पाया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर के प्रतिनिधियों के रूबरू पटवारी हल्का सनवाडा आर द्वारा दिनांक 14.11.2021 को तैयार की गई मौका फर्द रिपोर्ट में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर किसी का कब्जा नहीं माना गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत सनवाडा आर द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में नियमानुसार मिसल का संघारण कर एवं आक्षेप आमंत्रित कर तथा जिला परिषद कार्यालय से उक्त पट्टे के सम्बन्ध में लिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन उपरान्त ही अप्रार्थी संख्या तीन के हक में पट्टा जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से हस्तगत निगरानी आवेदन सारहीन होने एवं साबित नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में डिकटेट कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।


(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही

